[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 3/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, उत्पाद-शुल्क अधिनियम की उक्त अनुसूची के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम के आधिक्य में है, छूट देती है।

सारणी

| क्रम सं. | अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद | माल का वर्णन | दर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 2401 | सभी माल | शून्य |
| 2. | 2402 10 | सभी माल | शून्य |
| 3. | 2402 20 10 | 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न | 5 रु. प्रति हजार |
| 4. | 2402 20 20 | 65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न | 5 रु. प्रति हजार |
| 5. | 2402 20 30 | 65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | 5 रु. प्रति हजार |
| 6. | 2402 20 40 | 65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | 5 रु. प्रति हजार |
| 7. | 2402 20 50 | 70 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलत है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अधिक हो) | 5 रु. प्रति हजार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | 2402 20 90 | अन्य | 10 रु. प्रति हजार |
| 9. | 2402 90 10 | तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट | 5 रु. प्रति हजार |
| 10. | 2402 90 20 | तंबाकू अनुकल्प की सिगरीला | शून्य |
| 11. | 2402 90 90 | अन्य | शून्य |
| 12. | 2403 11 10 | हुक्का या गुड़कू तंबाकू | 0.5% |
| 13. | 2403 11 90 | अन्य | शून्य |
| 14. | 2403 19 10 | पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी | 1 % |
| 15. | 2403 19 21 | कागजवेलित बीड़ियों से भिन्न जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हों | 5 पैसा प्रति हजार |
| 16. | 2403 19 29 | अन्य | 10 पैसा प्रति हजार |
| 17. | 2403 19 90 | अन्य | 0.5% |
| 18. | 2403 91 00 | "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू | 0.5% |
| 19. | 2403 99 10 | चबाने वाला तंबाकू | 0.5% |
| 20. | 2403 99 20 | चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां | 0.5% |
| 21. | 2403 99 30 | जर्दा सुंगधित तंबाकू | 0.5% |
| 22. | 2403 99 40 | नस्वार | 0.5% |
| 23. | 2403 99 50 | नस्वार वाली विनिर्मितियां | 0.5% |
| 24. | 2403 99 60 | तंबाकू निष्कर्ष और सत | 0.5% |
| 25. | 2403 99 70 | कटा हुआ तंबाकू | शून्य |
| 26. | 2403 99 90 | अन्य | 0.5% |

[फा.सं. 334/3/2019-टीआरयू]

(गुजंन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार